

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 519 / फ़र्म पंजीकरण / 2015-16

दिनांक: देहरादून: जून 18, 2015

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में औद्यानिक औजारों/मशीनों (Tools, Implements and Machines) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज सहायता प्रदान की जाती है। औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के निर्धारण हेतु मूल निर्माता फ़र्मों/कम्पनियों को विभिन्न औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु मय स्पेशीफिकेशन एवं दर के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 08.07.2015 को अपरान्ह 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा दिनांक 09.07.2015 को अपने-अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कैम्पस में करना होगा।

निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 694/HMNEH/Mechanization/2014-15 दिनांक 23.08.2014 एवं 951/HMNEH/Mechanization/ 2014-15 दिनांक 01.10.2014 द्वारा HMNEH योजनान्तर्गत औद्यानिकी मशीनीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 (मार्च, 2017) तक औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों को सूचीबद्ध करते हुए कतिपय फ़र्मों/कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत फ़र्म/कम्पनियों, यदि इच्छुक हो तो पूर्व में पंजीकरण में सम्मिलित औद्यानिक औजारों/मशीनों के अतिरिक्त अन्य औद्यानिक टूल्स (मैनुअल ऑपरेटेड), औजारों तथा मशीनों के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती हैं।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप, शर्तें तथा सूची कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान सर्किट, हाउस, देहरादून से रु. 1000/- का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट <http://tender.gov.in> अथवा <http://uk.gov.in> तथा www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त प्रारूप को जमा करने हेतु रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 519 / फर्म पंजीकरण/2015-16

दिनांक: देहरादून: जून 18, 2015

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में औद्यानिक औजारों/मशीनों (Tools, Implements and Machines) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज सहायता प्रदान की जाती है। औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के निर्धारण हेतु मूल निर्माता फर्मो/कम्पनियों को विभिन्न औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु मय स्पेशीफिकेशन एवं दर के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 08.07.2015 को अपरान्ह 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा दिनांक 09.07.2015 को अपने-अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कैम्पस में करना होगा।

निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के पत्रांक 694/HMNEH/Mechanization/2014-15 दिनांक 23.08.2014 एवं 951/HMNEH/Mechanization/ 2014-15 दिनांक 01.10.2014 द्वारा HMNEH योजनान्तर्गत औद्यानिकी मशीनीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 (मार्च, 2017) तक औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों को सूचीबद्ध करते हुए कतिपय फर्मो/कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है। बागवानी मिशन के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियों, यदि इच्छुक हो तो पूर्व में पंजीकरण में सम्मिलित औद्यानिक औजारों/मशीनों के अतिरिक्त अन्य औद्यानिक टूल्स (मैनुअल ऑपरेटेड), औजारों तथा मशीनों के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती हैं।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप, शर्तें तथा सूची कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान सर्किट, हाउस, देहरादून से रु. 1000/- का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट <http://tender.gov.in> अथवा <http://uk.gov.in> तथा www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त प्रारूप को जमा करने हेतु रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड


निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

कार्यालय ज्ञाप

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपदों में औद्यानिक औजारों/मशीनों (Tools, Implements and Machines) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज सहायता प्रदान की जाती है। औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के निर्धारण हेतु मूल निर्माता फर्मों/कम्पनियों को विभिन्न औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु मय स्पेशीफिकेशन एवं दर के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 08.07.2015 को अपरान्ह 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा फर्मों/कम्पनियों द्वारा दिनांक 09.07.2015 को अपने-अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कैम्पस में किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों व औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों के प्रदर्शन के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. डा0 रतन कुमार, वरिष्ठ सब्जी अभिजनक, देहरादून | अध्यक्ष |
| 2. श्री संजय श्रीवास्तव, जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 3. डा0 संजय कमल, प्रसार अधिकारी (मशरूम), देहरादून | सदस्य |
| 4. श्री लोकमणी चौधरी, लेखाकार (HMNEH), देहरादून | सदस्य |
| 5. श्री एन0एस0 बिष्ट, उद्यान निरीक्षक (HMNEH), देहरादून | सदस्य |

अतः उक्त समिति प्राप्त आवेदनों को दिनांक 08.07.2015 को अपरान्ह 02:00 बजे खोलकर एवं दिनांक 09.07.2015 को फर्मों/कम्पनियों द्वारा अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों के प्रदर्शन का परीक्षण कर अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी।




(बी0एस0 नेगी)
निदेशक

पत्रांक 520 / फर्म पंजीकरण / 2015-16

दिनांक: देहरादून: जून.....18....., 2015

प्रतिलिपि उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

Tools, Implements and Machines हेतु फर्मों के पंजीकरण की शर्तें

आवश्यक शर्तें:

1. आवेदन पत्र मात्र मूल विनिर्माता फर्मों (Original Manufacturer) से ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन अंकित हो, दिनांक 08.07.2015 को अपराह्न 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कार्यालय में जमा करना होगा।
3. पंजीकृत किये जाने वाले औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों अथवा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए।
4. फर्म/कम्पनी को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारंटी/वारंटी भी देनी होगी।
5. फर्म/कम्पनी को औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को चलाने और उसके रख-रखाव की तकनीकी जानकारी से कृषकों को संतुष्ट करना होगा।
6. फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 (मार्च-2017) तक हेतु किया जायेगा।
8. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफे को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 08.07.2015 को अपराह्न 02:00 बजे खोला जायेगा।
9. दिनांक 09.07.2015 को अपने-अपने Tools, Implements and Machines का गठित समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून कैम्पस में प्रदर्शन करना होगा।
10. बागवानी मिशन के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 31.03.2017 तक पंजीकृत फर्मों/कम्पनियों द्वारा पूर्व में सम्मिलित औद्योगिक औजारों तथा मशीनों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु ही आवेदन किया जाय। बागवानी मिशन के अन्तर्गत पूर्व में पंजीकृत फर्मों/कम्पनियों द्वारा पंजीकरण में सम्मिलित औद्योगिक औजारों तथा मशीनों से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जा रही अन्य राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में पंजीकरण की वैद्य तिथि दिनांक 31.03.2017 तक कार्य किया जा सकता है।

11. फर्म/कम्पनी द्वारा औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों पर पेन्ट से उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड, वर्ष
....., योजना का नाम एवं देय राज सहायता की धनराशि रू0 अंकित की जायेगी तथा आपूर्ति के समय कृषक का यन्त्र के साथ फोटो लेना आवश्यक होगा।
12. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त कर सकता है।
13. फर्म/कम्पनी के मानक इत्यादि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2017 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म/कम्पनी को नवीनीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

आवश्यक अभिलेख:

1. पंजीकरण हेतु सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर देनी होंगी। पंजीकरण प्रारूप के साथ रू. 1000/- की विभागीय केश रसीद अथवा बैंक ड्राफ्ट रू. 1000/- जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
2. मूल निर्माता फर्म/कम्पनियों को निर्धारित संलग्न प्रारूप पर औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का मॉडल नं0, स्पेसीफिकेशन एवं समस्त कर सहित दर इत्यादि सूचनाएं अंकन करनी होंगी।
3. फर्म/कम्पनी का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू. 5.00 करोड़ का होना आवश्यक है, इसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. पंजीकृत किये जाने वाले औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों अथवा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने का प्रमाण-पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. फर्म/कम्पनी को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारंटी/वारंटी प्रदान करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा। फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से अधिक पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी।
8. फर्म/कम्पनी को पैन कार्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. फर्म/कम्पनी द्वारा औद्योगिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का विदेशों से आयात किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. निर्धारित पंजीकरण प्रारूप में अंकन हेतु पर्याप्त स्थान न होने पर पंजीकरण प्रारूप की फोटो कॉपी कर अंकन किया जा सकता है।

11. अपने Tools, Implements and Machines का साहित्य एवं फोटोग्राफ की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी उपलब्ध करानी होगी।

12. वर्गवार सूची निम्न प्रकार है:-

1. Horticulture Mechanization

1	Tractor (up to 20 PTO HP)	5.	Plant Protection equipments
2	Power Tiller	i.	Manual sprayer - Knapsack / foot operated sprayer
i.	Below 8 BHP	ii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity 8-12 lts)
ii.	8 BHP & above	iii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity 12-16 lts)
3	Tractor / Power tiller (below 20 BHP) driven equipments	iv.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 16/lts)
i.	Land Development, tillage and seed bed preparation equipments	v.	Tractor mounted / Operated Sprayer (below 20 BHP)
ii.	Sowing, planting reaping and digging equipments	vi.	Tractor mounted / Operated Sprayer (above 35 BHP) / Electrostatic Sprayer
iii.	Plastic mulch laying machine		
4	Self propelled Horticulture Machinery (Fruit pluckler, Tree pruners, Fruit Harvesters, Fruit Graders, Nursery Media filing machine, multipurpose hydraulic system, power operated horticulture tools for spraying, pruning, budding, grafting, budding, grafting, shearing, water lifting pump etc.)		

2. Nursery Tools

1	Secateurs	5	Patching knife
2	Grafting knife	6	Automatic grafting machine
3	Budding and Grafting knife	7	Edging knife
4	Pruning knife	8	Thinning scissors

3. Pruning Tools

1	Hydraulically operated secateurs	19	Branch pruner
2	Loppers	20	Multi power long reach pruner
3	Petrol chain saw etc	21	Fruit plucker
4	Self propelled pruning machine	22	Clipper
5	Hydraulic lopper	23	Folding saw
6	Electric operated chain saw (hand held)	24	Pruning saw
7	Electric operated chain saw with telescopic pole	25	Power chain saw
8	Electrically operated hedge trimmer (hand held)	26	Pole saw
9	Electrically operated hedge trimmer telescopic pole	27	Long reach pruners
10	Chain saw protective	28	Pruning shears
11	Lopper gear type	29	Fruit pruner
12	Lopper	30	Grape scissors
13	Multipurpose lopper	31	Floral scissors/floral wire cutter/floral knives
14	Extendable long reach cut and hold	32	Hedge shears
15	Long reach cut & hold	33	Lopping shears
16	Long reach pruner	34	Tractor operated tree pruner
17	Fruit catcher	35	Battery operated secateurs toppler
18	Tree pruner	36	Hedgers etc

4. Other Machines

1	Power operated machines/tools including power saw, power sprayer and plant protection equipments etc	6	Weed Cutter
2	Horticulture equipments for canopy management, pruning etc	7	Pit Hole Digger
3	Diesel Engine / Water Lifting Pumps	8	Other Manual operated machines
4	The cordless power machines		



निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

**Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)**

Cash Receipt / Draft No.

Date:

Amount ₹1000.00

1) Horticulture Mechanization (Machines / Tools)

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of machine / tool and Model	Specifications	Power (HP & KW)	Tested by FMPTTI / University / BIS	Rate per piece (including all taxes) (in ₹)	Name and address of Dealer in Uttarakhand
01	02	03	04	05	06	07	08

Signature of firm authorized person

Name of firm authorized person



**Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)**

Cash Receipt / Draft No.

Date:

Amount ₹1000.00

2) Nursery Tools

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of tool and Model	Specifications	Power (HP & KW) if applicable	Tested by FMTTI / University / BIS	Rate per piece (including all taxes) (in ₹)	Name and address of Dealer in Uttarakhand
01	02	03	04	05	06	07	08

Signature of firm authorized person

Name of firm authorized person



Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)

Cash Receipt / Draft No.

Date:

Amount ₹1000.00

3) Pruning Tools

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of tool and Model	Specifications	Power (HP & KW) if applicable	Tested by FMTTI / University / BIS	Rate per piece (including all taxes) (in ₹)	Name and address of Dealer in Uttarakhand
01	02	03	04	05	06	07	08



Signature of firm authorized person

Name of firm authorized person

**Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)**

Cash Receipt / Draft No.

Date:

Amount ₹1000.00

4) Other Machines

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of tool and Model	Specifications	Power (HP & KW) if applicable	Tested by FMTTI / University / BIS	Rate per piece (including all taxes) (in ₹)	Name and address of Dealer in Uttarakhand
01	02	03	04	05	06	07	08



Signature of firm authorized person

Name of firm authorized person